[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, dated the 12th April, 2017

G.S.R. ....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 , namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 7, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the publication of notice under clause (iii) of this sub-rule, in respect of cases falling under sub-section (1) of section 248 shall be in Form No. STK 5A.".

3. In the principal rules, after the Form STK-5, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM No. STK – 5A

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and second proviso to rule 7(1) of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar of Companies

(Address of RoC)

Public Notice No.---------- **Date:----------**

Reference:

In the matter of striking off names of companies under section 248 (1) of the Companies Act, 2013, of the companies as per details below:-

1. Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that, the companies, whose names are listed on the _____ (provide web link of the page on Ministry's website where the names are listed),-

   (i) have not commenced business within one year of their incorporation; OR
   (ii) have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013.

   [Strike off whichever is not applicable]

   And, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within thirty days from the date of such notice.

2. Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his objection to the office address mentioned hereabove within thirty days from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies".

[F. No. 1/28/2013-CL.V]

12/04/2017

AMARDEEP SINGH BHATIA,

Joint Secretary to the Government of India

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1174(E), dated 26th December, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 12 अप्रैल, 2017

सा.का.नि..... (अ) .- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1) उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 7, के उप नियम (1) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि धारा 248 की उप धारा (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में इस नियम के खंड (iii) के अधीन सूचना का प्रकाशन, प्ररूप संख्या एसटीके 5क में किया जाएगा"

3. मूल नियमों में, प्ररूप सं. एसटीके-5 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. एसटीके-5क
सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7(1) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

(कंपनी रजिस्ट्रार का पता)

सार्वजनिक सूचना सं. .....

तारीख .....

संदर्भ :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के अधीन नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कंपनियों के नाम काटने के विषय में :-

1. यह सूचना दी जाती है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण है कि उन कंपनियों, जिनके नाम _____ (मंत्रालय की वेबसाइट के उस पृष्ठ का वेब लिंक बताएं, जहां नाम सूचीबद्ध हैं) पर सूचीबद्ध हैं,-

(i) जिन्होंने अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; अथवा

(ii) जिन्होंने ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई कारबार या प्रचालन नहीं कर रही हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है।

[जो लागू न हो, उसे काट दें]

और, इसलिए, कंपनी रजिस्टर से उपर्युक्त कंपनियों के नाम हटाने/काटने का और जब तक ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर इसके विरुद्ध कोई कारण नहीं बताया जाता है, उन्हें विघटित करने का प्रस्ताव करता है।

2. कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाने/काटने के प्रस्ताव पर आक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपना आक्षेप भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार"

[फा.सं. 1/28/2013-सीएल.V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1174(अ), तारीख, 26 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।